

अतिरिक्त प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04-10-2020 जनपद देवरिया।

01.थाना मईल पुलिस द्वारा एक अदद पीकप वाहन से 08 राशि गौ वंशीय पशु के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

आज दिनांक 04.10.2020 को थानाध्यक्ष मईल मय टीम कुंडौली-मेहरौना मोड़ पर संदिग्ध वाहन व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे कि मुखबीर की सूचना पर वाहनों से घेराबंदी कर एक पिकअप वाहन संख्या BR 29 P 3150 को रोका गया, जिसमें से कुल 08 राशि गौ वंशीय पशु बरामद किए गए एवं एक अभियुक्त रविंद्र कुमार कुशवाहा पुत्र हरिशंकर कुशवाहा निवासी माड़ीपुर थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा पिकअप वाहन व गौ वंशीय पशुओं को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

02. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लूट की सोने की चैन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 02.10.2020 को कॉर्पोरेटिव चौराहे के पास पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक महिला के गले से सोने की चैन लूटने के संबंध में थाना कोतवाली पर वादिनी संगीता जायसवाल पत्नी दिनेश जायसवाल वर्तमान पता रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-720/2020 धारा 392 भादंसं का अभियोग अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी, जिसके क्रम में विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 04-10-2020 को गोरखपुर ओवर ब्रिज के पास से एक बिना नंबर पल्सर मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता सोनू डोम पुत्र भोला डोम निवासी नगर पालिका देवरिया के पास थाना कोतवाली जनपद देवरिया बताया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से लूट की सोने की चैन बरामद की गई, जिसकी शिनाख्त वादिनी द्वारा की गई है। पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर पलसर मोटरसाइकिल एवं सोने की चैन को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

